प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.04.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

राज्यसभा–वक्फ

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर आज राज्यसभा में चर्चा जारी है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। इसके साथ ही हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार भी होगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ–साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम को ही मिल सकता है और कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुस्लिमों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।

केंद्रीय सहायता

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए दो सौ 67 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025–26 में पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 14 सौ करोड़ रूपए की मांग की गई है, जिसमें से पहले चरण में दो सौ 67 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने ये राशि जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया है। लोकनिर्माण मंत्री ने बताया कि जलौड़ी जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी एक हजार 4 सौ 52 करोड़ रूपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।

विक्रमादित्य सिंह

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 11 महीने की देरी के बाद मंडी

में दिशा प्रो–डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है और सांसद के अधीन होने वाली दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का भी कंगना रणौत के पास समय नहीं है।

विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रणौत को सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करने की सलाह भी दी।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए नये मैडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना संचालित करता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच निधियन साझाकरण पद्धति पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90–10 के अनुपात जबकि अन्य के लिए 60–40 के अनुपात में है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर और नाहन में तीन मैडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं और तीनों मैडिकल कॉलेज कार्यशील हैं। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार मैडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए हिमाचल को एक सौ 44 करोड़ रूपए की कुल अनुमोदित लागत से एक मेडिकल कॉलेज में 17 पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिलासपुर में एम्स की स्थापना की गई है।